

राजस्थान सरकार
कार्यालय निदेशक, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर

प्रेस-विज्ञापि

विषय— देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना 2011–12 हेतु आवेदन करने के सम्बन्ध में ।

निदेशालय, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा सत्र 2011–12 के लिए समरत राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान में अध्ययनरत राजस्थान गूँड़ की विशेष पिछड़े वर्ग [१. बंजारा, बालदिया, लवाना २. गढ़िया लोहार, गाड़ोलिया ३. गृजर, गुर्जर ४. राईका, रैवारी (देवारसी)] की छात्राओं से देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि हेतु विवर प्रपत्र में आवेदन आमत्रित किये जाते हैं ।

क्र. सं.	स्कौल/योजना का नाम	छात्राओं द्वारा महाविद्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि	महाविद्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर में जमा करवाने वी अंतिम तिथि
१	देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना	२५–११–२०११	३०–११–२०११

योजना के तहत देय लाभ—

- १— राजस्थान/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं (सी.सी.) परीक्षा में पूर्णतया 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त कर राजकीय महाविद्यालय में स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में नियमित अध्ययन हेतु प्रवेश लेने वाली छात्राओं की प्रतिशत दरीयता सूची बनाकर प्रथम 500 छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी वितरण की जावेगी ।
- २— छात्राओं के राजकीय महाविद्यालयों में नियमित अध्ययनरत रहकर स्नातक प्रथम द्वितीय एवं तृतीय वर्ष परेशन में पूर्णतया 60 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने पर कमशः द्वितीय वर्ष में रुपये 10,000/- और तृतीय वर्ष में रुपये 10,000/- वार्षिक तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष (पी.जी. डिग्री प्रवेश वर्ष में) रुपये 20,000/- तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में पूर्णतया 60 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने पर स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में रुपये 20,000/- वार्षिक प्रोत्साहन राशि दी जावेगी ।

योजना से संबंधित नियम, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया तथा भुगतान करने सबै जानकारी एवं आवेदन पत्र निदेशालय कॉलेज शिक्षा विभाग की वेबसाइट <http://www.collegeeducation.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध है । छात्राएँ/प्राचार्य, महाविद्यालय डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं ।

छात्राओं द्वारा आवेदन पत्रों के साथ प्रवेश हेतु फीस जमा रखी दी प्रमाणित फोटो प्रति, ग्रस्त परीक्षा उत्तीर्ण अकातालिका की प्रमाणित फोटो प्रति, जाति प्रमाण पत्र (विशेष पिछड़ा वर्ग) तहसीलदार द्वारा जारी किया हुआ की प्रमाणित फोटो प्रति, मूल नियास प्रमाण पत्र—तहसीलदार द्वारा जारी किया हुआ, की प्रमाणित फोटो प्रति, ग्राम पंचायत/अधिनियमक का वार्षिक आय प्रमाण पत्र (जः गाह से अधिक पुराना नहीं हो) तथा प्रोत्साहन राशि हेतु आवेदन करने वाली छात्राओं का एस.बी.बी.जे वैक खाता संख्या तथा पासबुक की फाटो प्रति संलग्न कर निर्धारित तिथि २५–११–२०११ तक जमा करा जा सुनिश्चित करें ।

प्राप्त आवेदन पत्रों को प्राचार्य द्वारा सम्पूर्ण जांच कर, फोटो प्रमाणित कर तथा महाविद्यालय सबै कांलम पूरी तरह दस्तावर एवं सील अंकित कर निदेशालय, कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर में निर्धारित तिथि ३०–११–२०११ तक जमा करा जा सुनिश्चित करें ।

निदेशक
कॉलेज शिक्षा विभाग, राज.०.
जयपुर

क्रमांक एफ २३ () तेक्षा/निकाशि/देवनारायण स्कूटी वितरण प्रो.रा.यो./2011–12/ ११४२ – ११५१ दिनांक: ४/११/२०११
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु —

१. निदेशक, जनसंघर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को आठ प्रतियों सहित भेजकर अनुरोध है कि कृपया इनका निःशुल्क प्रकाशन राजस्थान की सभी समाचार पत्रों में करवाने की व्यवस्था करावे ।
२. निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र जयपुर को प्रसारणार्थ प्रेषित है ।
३. निदेशक, आवाशयार्थी, जयपुर को प्रसारणार्थ प्रेषित है ।
४. निजी संचिव, निदेशक महोदय, उच्च शिक्षा, शासन संचिवालय, जयपुर ।
५. निजी संचिव, निदेशक महोदय, कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर ।
६. संयुक्त निदेशक अकादमी/पी.एड सी.छात्रवृत्ति, कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर ।
७. उप शासन संचिव, उच्च शिक्षा (मुख्य-३) विभाग, शासन संचिवालय, जयपुर ।
८. सम्पादक, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर एवं दैनिक नव-ज्योति को भेजकर अनुरोध है कि कृपया उक्त विज्ञप्ति के अनुसार आपके राजस्थान के समाचार पत्रों के सभी संस्करणों में प्रकाशन करावे ।
९. समरत प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान ।
१०. श्री देवर्णि जी को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

संयुक्त निदेशक (छात्रवृत्ति)
कॉलेज शिक्षा विभाग, राज.०.
जयपुर